क्रम संख्या–68 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 02 मई, 2018 ई0

बैशाख 12, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 218 / XXXVI (3) / 2018 / 30(1) / 2018

देहरादून, 02 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 26 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनिमय, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए:–

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा

परिभाषा

2. मूल अधिनियम का तात्पर्य "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006" है।

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में –

(एक) खण्ड (क), (ङ), (ट), (ठ), (ड़) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिये जायेगे, अर्थात:–

(क) "प्रवेश तथा शुल्क विनियमन समिति" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, निजी संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन के लिए गठित समिति से है;

(ङ) खण्ड (ङ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ट) "सरकारी सीट" का तात्पर्य निजी संस्थानों की उतनी सीटों से है जितनी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं;

परन्तु यह कि ऐसी सीटें पाठ्यक्रम में कुल सीट के 50 प्रतिशत से अनधिक होगी।

(ठ) "प्रबन्धन" का तात्पर्य निजी संस्था को संचालित व नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा निकाय से है, जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय;

(ड़) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 02 सन 2005) की धारा 2 के खण्ड (च) के अन्तर्गत अधिसूचित समुदाय से है;

(दो) खण्ड (ड़) के पश्चात् एक नया खण्ड (ड़)(ड़) अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(ड़)(ड़) "अल्पसंख्यक संस्था" का तात्पर्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 2, सन 2005) की धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत स्थापित और प्रशासित शैक्षिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा इस रूप में घोषित संस्था से है।"

(तीन) खण्ड (त), (द), (न) के स्थान पर निम्नवत खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–

(त) "निजी संस्थान" से तात्पर्य अनानुदानित निजी व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्थानों, जिन पर यह अधिनियम लागू है, से है।

(द) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(न) "आरक्षित सीट" का तात्पर्य निजी संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षित सीटों से है;

(चार) खण्ड (म) के पश्चात् क्रमशः निम्नवत खण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेगे, अर्थात–

(य) "प्राधिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण से है;

(र) "अनुसूचित जाति" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट जाति से है;

(ल) "अनूसचित जनजाति" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट जनजाति से है।

धारा 4 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2), (4), (5), (7), (8), (10), (11),(12), (13)(क), (14), (15) के स्थान पर निम्नवत, उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात–:

(2) समिति अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक होगा;

परन्तु यह कि प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो तक होगा, तथा इससे पूर्व किसी भी कारण से समिति में रिक्ति उत्पन्न होने पर, राज्य सरकार रिक्ति उत्पन्न होने के तीन माह के भीतर उस रिक्ति की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए करेगी;

(4) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी संस्थान से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं होगा।

(5) (एक) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग पत्र दे सकेगा।

(दो) राज्य सरकार उपधारा (एक) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,

(ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रत है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है,

(ग) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है,

(घ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा अपने पद का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोकहित के लिये हानिकारक हो गया हो अथवा अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार के विचार में समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय हो, तो उसे उक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राज्य सरकार द्वारा समिति से हटाया नहीं जाएगा।

(7) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(8) प्रवेश के लिए समिति द्वारा प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध किये गये प्रवेश की शिकायतें भी समिति द्वारा सुनी जायेंगी। संबंधित प्रबन्धन से प्राप्त प्रमाणों तथा स्पष्टीकरणों के पश्चात् समिति यह निर्णय ले सकेगी कि प्रवेश की प्रतिपादित प्रक्रिया का उल्लंघन, निजी संस्थान द्वारा किया गया है अथवा नहीं। समिति उन पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

(10) समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निजी संस्थानों हेतु सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया की किसी भी प्रक्रम में निरीक्षण की शक्ति होगी, यदि समिति को विश्वास हो जाये कि निजी संस्थान हेतु सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के विरूद्ध है, तो समिति सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त संस्थान पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

(11) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(12) समिति निजी संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारित करेगी।

(13) (क) प्रत्येक निजी संस्थान द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित शुल्क ढांचे को समिति के समक्ष सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा;

समिति समस्त प्रस्तुत अभिलेखों पर विचारोपरांत अधिकतम एक माह के भीतर शुल्क निर्धारण करेगी;

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर शुल्क निर्धारित नहीं कराये जाने की स्थिति में निजी संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जायेगा। अतः निजी संस्थान के द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे।

(14) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क निजी संस्थानों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्था शुल्क के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगी। इस प्रकार निर्धारित शुल्क उस अभ्यर्थी पर लागू होगा जिसने संस्था में उस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है तथा उस निजी संस्थान में उसका पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक उस शुल्क का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(15) समिति निजी संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित विषयों की जांच कर सकेगी:–

(क) केपिटेशन शुल्क संग्रहण से संबंधित शिकायतें।

(ख) निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाना।

(ग) लाभार्जन।

(घ) इस अधिनियम के किसी प्राविधान का उल्लंघन।

उपर्युक्त सभी दशाओं से संबंधित प्रबन्धन से प्रमाण तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त समिति निर्देश दे सकती है अथवा समुचित संस्तुतियां कर सकती है। जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त करना अथवा राज्य सरकार से समुचित कार्यवाही कर शास्ति आरोपित करना शामिल है।

धारा 5 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (3) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

(1) निम्न को ध्यान में रखते हुए :–

(क) निजी संस्थान की स्थिति;

(ख) व्यावसायिक पाठ्यकमों की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताए;

(ग) भूमि एवं भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध आधारभूत ढॉचा;

(ड) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय;

(च) व्यावसायिक संस्थान की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त अतिरिक्त राशि;

(छ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक,

प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति, विहित तरीके से निजी संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क अथवा शुल्कों का निर्धारण करेगी।

(3) समिति विभिन्न संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, उपर्युक्त कारकों के अनुसार भिन्न–भिन्न शुल्क निर्धारित कर सकती है तथा यह समान प्रकार की संस्थाओं को वृहत् समूह में रख सकेगी:

परन्तु यह कि समिति अप्रवासी भारतीय छात्रों के प्रवेश हेतु निजी संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले उच्चतर शुल्क को नियत कर सकेगी।

धारा 6 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 6 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"किसी भी अभ्यर्थी को किसी निजी संस्था में, प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अथवा समकक्ष योग्यता धारित न करता हो:

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, को निजी संस्थान में स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हेतु पात्रता होगी।"

धारा 7 का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 7 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"सभी सरकारी सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा एवं कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।"

धारा 8 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) एवं (3) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

(1) निजी संस्थान में सरकारी सीटों के अतिरिक्त सभी सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा अलग कॉमन काउन्सिलिंग द्वारा भरी जायेंगी;

(3) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 9 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 9 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"निजी संस्थानों द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सीटों का आरक्षण प्रदान किया जायेगा;

परन्तु यह कि निजी संस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटें अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें कॉमन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची के आधार पर भरा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती है तो पुनः आवेदन आमंत्रित करके अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी;

परन्तु यह और भी कि यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो इन सीटों को इस अधिनियम की धारा 8 में वर्णित गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों के वरियता क्रम एवं प्रतिक्षा सूची के आधार पर भरा जा सकेगा।"

धारा 10 संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 10 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सरकारी, सामान्य सीटें कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्रों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाने की दशा में कॉमन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम एवं प्रतिक्षा सूची के आधार पर भरी जाएंगी;

परन्तु यह कि निजी संस्थान की सीट अथवा सीटें इसके बाद भी अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो पुनः आवेदन आमंत्रित करके अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।"

धारा 12 का संशोधन

11 मूल अधिनियम की धारा 12 में –

(एक) उपधारा (1) एवं (2) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

(1) राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि मुख्य सचिव **अथवा** समकक्ष स्तर से कम न हो –सदस्य

(ग) राज्यपाल द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् –सदस्य

कोई व्यक्ति अथवा निजी संस्थान प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति के आदेश से सहमत नहीं होते हैं तो आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं।

(2) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा किसी नामित सदस्य द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व में घटित हो, होगा;

परन्तु यह कि प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पूर्व में घटित हो, होगा तथा इससे पूर्व किसी भी कारण से प्राधिकरण में रिक्ति उत्पन्न होने पर, राज्य सरकार रिक्ति उत्पन्न होने के तीन माह के भीतर उस रिक्ति की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए करेगी;

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् क्रमशः उपधाराएं (3),(4)(5)(6) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेगे, अर्थात–

(3) अपीलीय प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि अथवा केवल किसी रिक्ति के कारण प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं मानी जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी संस्थान से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है, प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं होगा।

(5) (एक) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्याग पत्र दे सकता है।

(दो) राज्य सरकार उपधारा (एक) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,

(ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गत है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है,

(ग) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है,

(घ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा अपने पद का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोकहित के लिये हानिकारक हो गया हो अथवा अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार के विचार में प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अशोभनीय हो, तो उसे उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण से हटाया नहीं जायेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्राधिकरण द्वारा सदस्यों में से किसी एक को विशेष बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जायेगा तथा प्राधिकरण जैसे उचित समझे स्वयं की प्रक्रिया अपना सकती है।

धारा 13 संशोधन 12 मूल अधिनियम की धारा 13 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"यदि कोई व्यक्ति अथवा निजी संस्थान इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करती है, तो प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकरण ऐसी संस्था/व्यक्ति के विरूद्ध निम्न में से एक या अधिक कार्रवाइयां कर सकेगी:–

(क) जिन संवैधानिक निकाय से संस्था सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त हों उसकी सम्बद्धता समाप्त किये जाने के आदेश जारी कर सकती है अथवा संबंधित समुचित प्राधिकारी को संस्था की मान्यता समाप्त करने का आदेश दे सकेगी;

(ख) संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय अथवा परिषद् द्वारा जो उपाधियां, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाओं को जारी किये जाते हैं, को इस अधिनियम के विरूद्ध किये गये छात्रों के प्रवेश तथा पंजीकरण को निरस्त करने के निर्देश दिये जा सकेंगे;

(ग) इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में जिन छात्रों को गलत रूप से वंचित रखा गया हो, को प्रवेश देने हेतु निर्देश दिये जा सकेंगे;

(घ) इस अधिनियम के प्रत्येक उल्लंघन के लिये वित्तीय शास्तियां लगायी जायेंगी। यह धनराशि प्रति उल्लंघन के लिए दस लाख रुपये से कम नहीं होगी तथा जिसकी राज्य सरकार के द्वारा भू–राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी;

(ङ) संबंधित निजी संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किये जाने की दशा में प्रति व्यक्ति/छात्र उल्लंघन पर अधिक वसूल की गई धनराशि के पांच से दस गुना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। दण्ड की न्यूनतम धनराशि दस लाख रूपये होगी।

(च) संस्था को, किसी छात्र को, ऐसे समय के भीतर, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक प्राप्त की गई कोई राशि अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि या मुनाफे के लिये प्राप्त की गई कोई राशि वापस करने का आदेश दे सकेगी:

परन्तु यह कि यदि संस्था छात्र को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर राशि वापस करने में असफल रहती है तो वह, उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी और छात्र को संदत्त की जाएगी;

(छ) संस्था को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने का आदेश दे सकेगी;

(ज) उपरोक्त निर्देश तथा आदेश निजी संस्थानों पर बाध्यकारी होगें।

उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति अथवा निजी संस्थान को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा। "

धारा 14 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 14 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"इस अधिनियम के प्राविधान किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव रखेगें।"

धारा 17 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 17 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

(2) इस धारा के अतंर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 को राज्य की विधानै सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है। उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 को लागू करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों और निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि के संबंध में समानता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता स्थापित किये जाने के दृष्टिगत उक्त अधिनियम की संगत धाराओं में संशोधन किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है।

2. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये है।